न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 79/2018

दायर दिनांक :- 11.01.2018

उनवान

1. श्रीमती छोटा देवी पत्नि कैलाशचन्द जाति गुर्जर निवासी पाडली तह0 व जिला दौसा।

-(वादी)

बनाम

1 शान्ति देवी पत्नि अमरसिंह
2 नर्बदा देवी पत्नि जगदीश
3 मीरा देवी पत्नि रामभजन
} जाति गूजर निवासी पाड़ली तह0 व जिला दौसा।

4 बैंक आफ इण्डिया शाखा दौसा जरिए शाखा प्रबन्धक।

5 स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा भाण्डारेज जरिए शाखा प्रबन्धक।

6 कोरपोरेशन बैंक शाखा दौसा जरिए शाखा प्रबन्धक।

7 राज0 सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।

8 उपपंजीयक दौसा।

-(प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः 11/10/2022

वकील मय वादी ने एक वाद दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादीनी का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी न0 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी न0 3 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। वादीनी एवं प्रतिवादी 1 लगायात 3 प्रत्येक अपने अपने हिस्सेनुसार खातेदार काबिज काश्तकार है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया हैः-

1. डिक्री तकास्मा इस अमर की पारित फरमावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम पाडली तहसील व जिला दौसा का तकास्मा इस तरफ फरमावें कि विवादित भूमि से लगता हुआ जो रास्ता है जो सीमेंट सडक के रूप में बना हुआ है जिसमें चारो हिस्सेदारो को सउक से लगते हुए हिस्से कर हिस्से अनुसार अलग अलग खातेदारी प्रदान करे अलग अलग पर्चा पासबुक प्रदान करे तथा अलग अलग लगान कायम फरमाया जावें।

2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावे कि उक्त भूमि के किसी भी हिस्से व भाग को बिना तकास्मा कराये किसी को रहन, बय हस्तान्तरण नही करे ना ही भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें तथा वादीनी के कब्जे काश्त में दखल नही देवे। भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी नं0 8 को पाबन्द फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किये गये। दिनांक 08.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जौपाड़ा में पेश हुई। कैम्प कोर्ट जौपाडा में वादिनी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार दौसा को ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर तीन-तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2018/7360 दिनांक 20.08.2018 व पत्रांकः कोर्ट/2019/1187 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा ने पत्रांकः भू0अ0/2019 /21534 दिनांक 20.12.2019 के द्वारा कुर्रेजात तीन-तीन प्रतियों में इस न्यायालय को दिनांक 08.01.2020 को पेश निम्नानुसार पेश किये गयेः-

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	मीरा देवी पत्नि रामभजन	298/1	0.1350	चाही 1	6.08
2.	शान्ति पत्नि अमरसिंह	298/2	0.1350	चाही1 जाव1	4.72
3.	नर्बदा देवी पत्नि जगदीश	299/1	0.1300	चाही1 जाव1	4.73
4.	छोटा देवी पत्नि कैलाशचन्द	299/2	0.1300	चाही1	5.85
	कुल	4	0.53		21.38

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

दिनांक 13.01.2021 को वकील वादी द्वारा वादिया की ओर से प्रार्थना-पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश किया गया। दिनांक 05.07.2022 को प्रार्थना-पत्र आपत्ति कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। बहस सुनकर वादियां का प्रार्थना-पत्र आपत्ति कुर्रेजात स्वीकार कर निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	मीरा देवी पत्नि रामभजन	298/1	0.1350	चाही 1	6.08
2.	छोटा देवी पत्नि कैलाशचन्द	298/2	0.1350	चाही1 जाव1	4.72
3.	नर्बदा देवी पत्नि जगदीश	299/1	0.1300	चाही1 जाव1	4.73
4.	शान्ति पत्नि अमरसिंह	299/2	0.1300	चाही1	5.85
	कुल	4	0.53		21.38

:: आदेश ::

वाद वादी मुताबिक उपर्युक्त खाता विभाजन अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 11/10/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:52 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा